

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन सिटी जिला करौली
इजलास अनूपसिंह, R.A.S.

उनवान

1. जोगेन्द्र | पिसरान पूरन जाति गुर्जर निवासी बडी बाखल हिण्डौन सिटी
2. अर्जुन | तहसील हिण्डौन जिला करौली ----- वादीगण

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर, जिला करौली
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन लैण्ड होल्डर
3. मु0 गंगादेवी बेबा रामदयाल | जाति ब्राह्मण निवासी शिवकोलोनी हिण्डौन
4. जीतेन्द्र | पिसरान रामदयाल | जिला करौली
5. राजेश |
6. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री पूरनसिंह | जाति गुर्जर निवासी बडी बाखल
हिण्डौन तहसील हिण्डौन
7. मुकटसिंह | पिसरान भौरीलाल | ----- प्रतिवादीगण
8. महाराजसिंह |

दावा बाबत् इस्तकरार हक,
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 40/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रुबरु मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 7177 रकबा 0.38 है0, 7179 रकबा 0.26 है0, 7180 रकबा 0.27 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.91 है0 कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में खातेदार रामदयाल पुत्र बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन हिस्सा 1/6 के स्थान वादीगण जोगेन्द्रसिंह अर्जुनसिंह पिसरान पूरनसिंह जाति गुर्जर निवासी हिण्डौन को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा शेष हिस्सा मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेगा। प्रतिवादी सं0 3 लगायत 5 को जरिये -

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

(2)

स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 7177 रकबा 0.38 है०, 7179 रकबा 0.26 है०, 7180 रकबा 0.27 है० कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.91 है० कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में वादीगण के हिस्सा 1/6 भाग के रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05/04/2022
को यह डिक्री जारी की गई।

(अमूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
हिण्डौन तहसील (करौली)